



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट में 02 अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-556/2011 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.शेरु उर्फ शेर मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सगीर पुत्र पप्पू उर्फ मुमताज निवासी छ थोक कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर 2.महबूब पुत्र मकबूल निवासी अकौना थाना राठ हमीरपुर हालपता कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को ₹5,000-5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी सुशील कुमार
त्रिपाठी



विवेचक-
उ0नि0 अनिल कुमार
राय



पैरोकार- थाना मुस्करा
का0 श्यामनारायण